

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

प्रकरण संख्या 27/2022 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये देवेन्द्र सिंह
राणावत, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा

बनाम 1. श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र मौखम चन्द
मैसर्स श्री नाकोडा डेयरी, नई शाम की
सब्जी मंडी, भीलवाड़ा निवासी महावीर
मौहल्ला, गुरुद्वारा के पास, भोपालगंज
भीलवाड़ा

— प्रार्थी

—विपक्षीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं
दण्डनीय धारा 51

उपस्थित—

1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार
2. विपक्षी स्वयं उपस्थित

आदेश

दिनांक 22.06.2022


शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प-1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर ने विपक्षी के विरुद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षी निर्मल कुमार जैन पुत्र मौखम चन्द मैसर्स श्री नाकोडा डेयरी, नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को उपयोग हेतु पनीर काम में ले रहा था एवं मौके पर लगभग 4 किलो पनीर फ्रीज में रखा था। मिलावट का शक होने पर एफएसएसए



का विक्रय किया है जो कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन हैं एवं जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है। इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का विपक्षी द्वारा उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी पर 11,000/-रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक के 90 दिवस के अन्दर जरिये चालान जमा करा चालान प्रति जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करें।


निर्णय आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


न्याय निर्णय अधिकारी एवं अधिकारी जल संयंत्र
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
भीलवाडा (राज.)

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर
- 2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि निर्णयानुसार विपक्षी से शास्ति राशि निर्धारित बजट हैड में जमा कराये जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जावे।
- 3 श्री निर्मल कुमार जैन पुत्र मौखम चन्द मैसर्स श्री नाकोडा डेयरी, नई शाम की सब्जी मंडी, भीलवाडा को भेजकर लेख हैं कि उक्त शास्ति राशि चालान द्वारा जमा करा, चालान कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में प्रस्तुत करे।




न्याय निर्णय अधिकारी एवं अधिकारी जल संयंत्र
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
अति० जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
भीलवाडा (राज.)